

डीजी बताएं कैसे बंद होंगे अश्लील गाने : हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, पटना : आठों में बजने वाले अश्लील गानों पर पटना उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से 36 घंटे के भीतर यह बताने को कहा है कि इस पर किस तरह रोक लगायी जा सकती है। अदालत ने पहले से चल रही ऐसी किसी कार्यवाही की जानकारी भी मांगी। साथ ही ऐसे गानों की सीडी की बिक्री पर प्रतिबंध का उपाय भी पूछा।

बुधवार को एक लोकहित याचिका के जरिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी एवं न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह की खंडपीठ का ध्यान यातायात के सार्वजनिक स्थानों में बजने वाले अश्लील गानों की तत्पक्ष दिलाया गया। याचिका में कहा गया कि भोजपुरी गानों ने तो

- ◆ जवाब के लिए न्यायालय ने दिया 36 घंटे का समय
- ◆ अश्लील गानों की सीडी की बिक्री पर रोक के भी किए जाएं उपाय



सारी इंदें पार कर दी हैं। संदीप कुमार द्वारा दायर याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि आठों रिक्शा, टैक्टर, मिनी बस,

ई-रिक्शा, सवारी गाड़ियों में इनके चलते भारी परेशानी होती है। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सबसे खराब स्थिति परिवार के साथ कहीं सफर के दौरान होती है। गाना बजाने से बचना करने पर मारपीट तक हो जाती है। ऐसा लगता है इन्हें कुछ भी बजा देने का परमिट मिला हुआ है। इस पर तत्काल अंकुश लगाने के लिए हाईकोर्ट को दिशा निर्देश जारी करनी चाहिए।

इस मामले पर सरकारी वकील ने गाने बजने पर एफआइआर करने की सलाह दी। कोर्ट ने इस सलाह को पूरी तरह अव्यवहारिक बताया। कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि सरकार अश्लील गानों की सीडी की बिक्री पर प्रतिबंध के क्या उपाय कर सकती है।

from CNLU

विस्तृत

आयुर्वेद

ऑटो, ट्रक व ट्रैक्टर में अश्लील भोजपुरी गाने बजाने पर लगी रोक, डीजीपी को कड़े निर्देश : हाइकोर्ट ने ऑटो, ट्रक व ट्रैक्टर में अश्लील भोजपुरी गाने बजाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इफ्तेखार अहमद अंसारी व जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को तत्काल ऐसे गानों के बजाने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है. संदीप कुमार की लोकायुक्त याचिका को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीजीपी से ऑटो, ट्रक और ट्रैक्टर पर इस तरह के अश्लील गाने के बजाने पर किस प्रकार रोक लगायी जायेगी, उसकी विस्तृत कार्ययोजना बताने को कहा. याचिका में कहा गया है कि पुलिस की जानकारी में ऑटो, ट्रक और ट्रैक्टरों में अश्लील भोजपुरी गाने बजाये जाते हैं.

हाइकोर्ट ने कहा है. को प्रसाद सिंह की सुनवाई प्रिंसिपल को बताया कि कर्मचारी भी रखी है. यदि पड़ जायेगी

वीर कुं

हाइकोर्ट ने को कार्यवाही याचिका को व जस्टिस कि वीर कुं इस योजना मामले की

नापतोल
COM

ऑर्डर
करें

0922

11:21 | 11:21:12